(24)

COURT FEE Rs 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 रेस्टोरेशन

रा/पुर्नस्थापन/छतरपुर/भू.रा/2017/3565

1. गोविन्द पुत्र ~~प्रनुवा~~ पिरनवा उर्फ प्रउवा काछी.
2. रामकरण पुत्र ~~प्रनुवा~~ पिरनवा उर्फ प्रउवा काछी

निवासीगण ग्राम बछौना, तहसील लोड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्यामाबाई पुत्री गुलुआ पत्नी हरप्रसाद कुशवाह
2. अशोक पुत्र हरप्रप्रसाद कुशवाह

निवासीगण ग्राम–सिमराही तहसील लोड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.)

3. नन्दा
4. रामकृपाल

पुत्रगण प्रनुवा उर्फ प्रउवा काछी

5. कमली
6. बिट्टी
7. मृत चुनवार पुत्र टंटा काछी के वारिस (अ) जनकईया पत्नी चुनवार (ब) जीवन (स) हनुमंत (द) भगवानदास चारों पुत्रगण चुनवार

(इ) प्यारीबाई पुत्री चुनवार

8. रामकुंअर पुत्री टण्टा काछी
9. रतीराम पुत्री टण्टा काछी

सभी जाति कुशवाह निवासीगण ग्राम बछौना, तहसील लोड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, एडवो. द्वारा आज दि. 27-9-17 को प्रस्तुत

कार्यालय अधीक्षक राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27.9.17

Cf- 3-10-17

Shrivastava
प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट

आवेदन–पत्र वास्ते पुर्नस्थापना किये जाने बाबत्

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, उक्त प्रकरण दिनांक 6.9.17 को माननीय न्यायालय के समक्ष नियत था। उक्त दिनांक को आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता पुकार के समय उपस्थित नहीं हो पाये जिसके कारण उक्त प्रकरण उक्त दिनांक को आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम् पैरवी में निरस्त किया गया।

2. यहकि, आवेदक को आवेदक के अभिभाषक द्वारा नियत पेशी पर उपस्थित होने का निर्देश नहीं दिया गया था इस कारण नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये।

3. यहकि, आवेदक के अधिवक्ता की त्रुटि के लिये आवेदक को दण्डित नहीं किया जा सकता।

4. यहकि, आवेदक का आवेदन पत्र सद्भावना पर आधारित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण मूल निगरानी प्रकरण क्रमांक 3169 II/2015 गोविन्द विरुद्ध श्यामाबाई आदि को पुनर्स्थापित कर प्रकरण को गुणदोषों पर निराकरण किया जावे।

दिनांक : .09.2017

प्रार्थीगण

गोविन्द, रामकरण
निवासीगण ग्राम बछौना, तहसील लोड़ी, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... **आवेदकगण**

द्वारा अभिभाषक,

प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट
डी–25, द्वारिकापुरी, ग्वालियर
मोबा. 9826468219

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/पुर्नस्थापन/छतरपुर/भू.रा./2017/3565 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.02.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार करते हुए मूल निगरानी प्रकरण कमांक 3169–दो/15 पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। प्रशासकीय सदस्य	